कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ), राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक : एफ.()ई–ग्रीनवॉच / सू.प्रौ. / निस / 2017–18 / 2061 दिनांक : 9/6/17

परिपत्र

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 14(8)लेखा / प्रमुवस / 2016–17 / 1792 दिनांक13.07.2016 से (Placed below) से सभी मुख्य वन संरक्षकगणो, उप वन संरक्षको को आदेशित किया गया था कि सभी वृक्षारोपण एवं एसेट(Asset) सूचना के साथ support.egreenwatch@rajasthan.gov.in पर ई–मेल से भेज कर उसके क्षेत्रफल / लम्बाई ग्राम, तहसील, जिले की स्थिति की जांच कराने के उपरान्त सही पाये जाने पर उसे ई–ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

उक्त प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया गया तथा इस Process को re-engineering करने की कार्यवाही कर FMDSS पर सभी अधिकारियो / कर्मचारियो उनके स्तर पर Kml file चैक करने हेतु Automated Solution उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है –

- कार्मिक अपनी SSO ID से FMDSS के अंतर्गत Login कर Profile में Citizen का चयन करेंगे। अर्थात Citizen के रूप में Login करेंगे।
- Cleance and NOC के अंतर्गत non forest land out side PAs का चयन करेंगे।
- NOC for में किसी एक Option का चयन करेंगे तथा NOC Purpose में ऐसे Option का चयन करे, जिसके लिए Polygon आवश्यक हो यथा Power plant/School आदि Upload बटन का चयन करने पर बायी ओर upload AOI प्रदर्शित होगा।
- Upload AOI से चयनित वृक्षारोपण की Kml file को अपलोड करने पर नक्शे में चयनित क्षेत्र के ग्राम का नाम, वाटर बाडी से दूरी, वन क्षेत्र / वन्य जीव से दूरी स्वतः प्रदर्शित होगी, जिससे Kml file की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। राजस्थान से बाहर की Kml file प्रदर्शित नही होगी।
- इसे पुनः Submit करने पर Kml file की स्थिति जैसे Revenue, Division, District, Tehsil, Punchayat Samiti, Gram Panchayat, Gram प्रदर्शित होगे। साथ ही चयनित क्षेत्र का Area in hectare भी स्वतः प्रदर्शित होगा। (Screen Shots Placed below)

उक्त विधि से सभी अधिकारी कर्मचारी चयनित वृक्षारोपण की Kml file को upload करने पर Autometed processs से वृक्षारोपण का प्रमाणीकरण कर पायेंगे तथा इस अनुभाग को Kml file भेजकर प्रमाणीकरण की भी आवश्यकता नही होगी। जितना समय ई–मेल से Kml भेजने में तथा उसकी Detail साथ लगाने में लगेगा, उतने ही समय में वृक्षारोपण की Kml का प्रमाणीकरण स्थानीय स्तर पर हो जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त विधि से आगे की कार्यवाही वृक्षारोपण की Kml बनाने उनकी पुष्टि करना सुनिश्चित करें ।

9/6/17

(डॉ. ए.के. गोयल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.()ई–ग्रीनवॉच / सू.प्रौ. / निस / 2017–18 / 2062-2133 दिनांक : 9/6/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य वन संरक्षक, ~~(वन्य जीव)~~ प्रधान एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास / ईजीएस / परियोजना निदेशक RFBP II जयपुर। वो.वा. जयपुर
3. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / अजमेर / भरतपुर / बीकानेर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव भरतपुर / वन्य जीव जोधपुर / वन्य जीव कोटा / वन्य जीव उदयपुर / वन्य जीव जयपुर / बाघ परियोजना सरिस्का।
5. समस्त उप वन संरक्षक प्रादेशिक एवं वन्य जीव।

9/6

(बिपिन कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर।